

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम Union Bank of India A Government of India undertaking	शाखा - खुर्जा, जिला बुलंदशहर शाखा: खुर्जा, मुसिफ कोर्ट के सामने, पुरानी तहसील रोड, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203131
कब्जा सूचना [नियम-४(1)] (अचल संपत्ति के लिए)	
जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्मिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना संदर्भ: Sarfaesi/385506650000046 दिनांक 24.04.2026 को जारी कर (ऋणधारको) 1. श्रीमती फरहा जीशान, पत्नी अब्दुल जीशान, पता: 5, पावर हाउस नं. 2 के पास, सलामाहाकान, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, पिन-203131 और (गारंटर) श्री अब्दुल जीशान, पुत्र नासिर अहमद, पता: 5, पावर हाउस नं. 2 के पास, सलामाहाकान, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, पिन-203131 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि रु. 30,11,033.40 (रुपये तीस लाख ग्यारह हजार नैंतीस और चालीस पैसे मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर ब्याज वापस लौटने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको/गारंटर को सूचित किया जाता है की आज 10 जुलाई, 2026 को अयोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमवाली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक/ भौतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय रु. 30,11,033.40 (रु. तीस लाख ग्यारह हजार नैंतीस और चालीस पैसे मात्र) और 23.04.2026 से देय ब्याज के लिए यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।	
अचल संपत्ति का विवरण:	
एक दो मंजिला आवासीय मकान, मकान नं. 619, क्षेत्रफल 54.37 वर्ग मी., जो कि मौलाना ख़्तेमन्याम, खुर्जा, कब्जा खुर्जा, परगना और तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर में स्थित है, का ईप्लान। बिक्री विलेख के अनुसार मकान की चौड़ाई इस प्रकार है: पूर्व: रास्ता गली 6 फीट चौड़ा 52'9", पश्चिम: चंदपाता प्रजापति का मकान 52'9", उत्तर: विजय सिंह का मकान, 11'1", दक्षिण: आम रास्ता 12 फीट चौड़ा 11'1" दिनांक: 10-07-2026 स्थान: खुर्जा	अधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

CP CAPITAL Limited (Firstwhile Career Point Limited)	पंजीकृत कार्यालय: गांव टंगोरी, मोसली, पंजाब – 140601 रजि. कार्यालय: सीपी कैपिटल लि. सीपी टावर, रोड नंबर 1, आइपीआईएफ, कोटा, राजस्थान – 324005 +91-744 3559282 CIN: L64990PB2000PLC054497 E-mail: Investors@cpil.in Website: www.cpcapital.in
---	---

इक्विटी शेयरधारकों हेतु सूचना

अप्राप्त लामांश एवं उससे संबंधित इक्विटी शेयर्स का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) खाते में अंतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं धनवापसी) नियम, 2016 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, जो लामांश अप्राप्त लामांश खाते में अंतरण की तिथि से लगातार सात वर्ष तक दवाा नहीं किया गया है, उससे तथा ऐसे लामांश से संबंधित इक्विटी शेयर्स को, जिन पर लगातार सात वर्षों या उससे अधिक अवधि तक लामांश का दावा नहीं किया गया है, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) खाते में स्थानांतरित किया जाना अनिवार्य है।

उक्त नियमों के अनुपालन में, ऐसे सभी पंजीकृत इक्विटी शेयरधारकों को पृथक सूचना प्रेषित की गई है जिनका वित्तीय वर्ष 2019 का अंतरिम लामांश लगातार सात वर्षों से अप्राप्त है तथा जिनके संबंधित इक्विटी शेयर IEPF खाते में स्थानांतरित किए जाने हेतु देय हैं। ऐसे शेयरधारकों (DP ID & Client ID) फोनियों संख्या सहित) की सूची कंपनी की वेबसाइट cpcapital.in पर उपलब्ध है तथा नीचे दिए गए क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करके भी इसे देखा / प्राप्त किया जा सकता है।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अप्राप्त लामांश का दावा करने हेतु पृथक सूचना में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता में, अंकित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करें। यदि 07 सितम्बर, 2026 तक वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी अतिरिक्त सूचना के उक्त अप्राप्त लामांश तथा उससे संबंधित इक्विटी शेयर IEPF प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित कर देगी। इसके उपरांत संबंधित शेयरधारक / दावेदार IEPF प्राधिकरण से नियमानुसार लामांश एवं संबंधित शेयर्स की वापसी का दावा कर सकेंगे।

कृपया निम्नलिखित पद ध्यान दें:

(क) यदि आपके शेयर भौतिक (Physical) रूप में हैं, तो पन्थ प्राधिकरण के पक्ष में नए शेयर प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे तथा आपके नाम पर जारी मूल शेयर प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे।

(ख) यदि आपके शेयर इलेक्ट्र (Electronic) रूप में हैं, तो IEPF प्राधिकरण को अंतरण हेतु आपके डीमैट खाते से संबंधित शेयर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के डेबिट कर दिए जाएंगे।

कृपया यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त नियमों के अनुसार IEPF में स्थानांतरित किए गए अप्राप्त लामांश एवं संबंधित इक्विटी शेयर्स के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

इस संबंध में किसी भी जानकारी अथवा स्पष्टीकरण के लिए संबंधित शेयरधारक / दावेदार कंपनी को investor@cpil.in पर अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता में अंकित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, 60, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, परदेसीपुरा, इंदौर, मध्यप्रदेश-10, दूरभाष: 0731-4065799, ई-मेल: investor@ankitonline.com पर संपर्क कर सकते हैं।

सीपी कैपिटल लिमिटेड के लिए
(पूर्व में करियर पॉइंट लिमिटेड),
हस्ताक्षर/—
मनमोहन पारीक
कंपनी सचिव और नोडल अधिकारी

स्थान: कोटा
दिनांक: 14-07-2026

Bank of India Exclusively Rural Banking
नई दिल्ली जासित वसुन्नी शाखा, H-2, तीसरी मंजिल, टावर हाउस, पौडीआर पन्नाज के पीछे, कांफट स्टेशन, नई दिल्ली – 110001 फोन नं. 011-23756505
शुद्धिपत्र दिनांक 09.07.2026 को इस समाचार पत्र में छपे चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि क्र.अं. 01 से 09 तक नीलामी की तारीख को 25.07.2026 के बजाय 28.07.2026 पड़ा जाए। शेाई ई-नीलामी सूचना यथावत है। प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ इंडिया

पंजाब नेशनल बैंक Exclusively Rural Banking
रोजीम कार्यालय: बी-30/39, इन्दौरखल एरिया, फेज 1, नारायणा, नई दिल्ली 110028
सूचितिक आम जनता को सूचित किया जाता है कि पंजाब एंड सिंध बैंक, ज्वालाहेडी शाखा द्वारा विधिवत जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 24.06.2026, संपत्ति संख्या 53 /9, ग्राउंड प्लोर, अशोक नगर दिल्ली के लिए दिनांक 14.07.2026 की ई-नीलामी के लिए जारी किया गया है, जिसमें संजय शर्मा ने उपरोक्त संपत्ति के सामने की ओर से रास्ते का भी दावा किया है और माननीय न्यायालय श्री सुनील कुमार शर्मा, जिला न्यायाधीश-04, पश्चिमी जिला, तीस हजारी कोर्ट दिल्ली, मामला संख्या "CIV DJ 181/2016 7855/16 शीर्षक 'संजय शर्मा बनाम इंद्रपाल सिंह और अन्य' में एक सविल मुकदमा लंबित है। प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

 केनरा बैंक Canara Bank  केनरा बैंक एआरएमबी-1 करोल बाग, नई दिल्ली-110005	
	
बिक्री सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रभिभूत ऋणदाता के पास बंधक /वृष्टिबंधक प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति, जिसका कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के साथ पठित, नीचे उल्लिखित तिथियों पर ई-नीलामी के माध्यम से "जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है आधार पर" बेचा जाएगा। बिक्री के विस्तृत निबंधनों तथा शर्तों के लिए कृपया प्रदाता (मैसर्स पीएसबी एलारंस Baanknet.com) (संपर्क नंबर 8291220220, ईमेल: support.BAANKNET@psballiance.com) में प्रदान किए गए लिंक "ई-नीलामी" अथवा केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com को देखें। आरक्षित मूल्य के 10 % की ईएमडी राशि सीधे https://baanknet.com पोर्टल के ई-बोलेट में जमा की जानी है अथवा उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए उसमें चालान जनरेट करके जमा की जानी है।	
ऋणधारक/ गारंटीकर्ता का नाम तथा पता	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण
मैसर्स लेवल 4 प्रोपराइटर : श्री हरीश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरि नारायण शर्मा आधा ऊपरी मूलत, दुकान नंबर 6144, ब्लॉक नंबर- 1, गली नंबर 5, देव नगर, मध्य दिल्ली, दिल्ली - 110005 श्री हरीश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरि नारायण शर्मा खसरा नं. 480९2, खाता नं. 348 (नया खाता नं. 550), ग्राम – कावराबाद, मोहल्ला – सुदानपुर, परगना – जलालाबाद, रावली – मोदीनगर, जिला – गाजियाबाद की आवासीय संपत्ति के ईएमडी के समस्त वे भाग तथा अंश, बेजाजिमापन : 386 वर्ग गज अथवा 322.74 वर्ग मीटर।	खसरा नं. 480९2, खाता नं. 348 (नया खाता नं. 550), ग्राम – कावराबाद, मोहल्ला – सुदानपुर, परगना – जलालाबाद, रावली – मोदीनगर, जिला – गाजियाबाद की आवासीय संपत्ति के ईएमडी के समस्त वे भाग तथा अंश, बेजाजिमापन : 386 वर्ग गज अथवा 322.74 वर्ग मीटर।
तिथि : 08-07-2026 स्थान : दिल्ली	श्री कुणाल गौतम (एजीएम) – 9560062365, तथा/ अथवा प्रत्युष कुमार (9945145589) कृते केनरा बैंक प्राधिकृत अधिकारी

इंडियन बैंक Exclusively Rural Banking	शाखा: गौर मिट्टी, ग्रेटर नोएडा ईमेल: GAURGITYGREATERNOIDA@indianbank.bank.in
परिसिद्ध – IV (नियम-8(1)) **कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)** शुक्ति अयोहस्ताक्षरी, भारतीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, "प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्मिर्माण तथा प्रतियुक्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002" के अंतर्गत तथा धारा 13(12) के साथ पठित "देश राशि" (प्रवर्तन) नियम, 2002" के नियम 8 एवं 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.05.2026 को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसके द्वारा उधारकर्ता " मैसर्स एचएनए क्लियरिंग प्रोप-श्रीमती-हीना चौधरी " , पता: यूजिट नं. 17, सेक्टर-६, जी. बी. नगर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, हमारे बैंक के साथ। साथ ही: G-18, तीसरी मंजिल, सेक्टर-६, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, हमारे बैंक के साथ। साथ ही: एलजी-317, लोअर ग्राउंड प्लोर (बैसमेंट-1), गौर सिटी सेंटर, प्लॉट नं. सी-01ए/जीएच-01, सेक्टर-04, ग्रेटर नोएडा-201009, तथा गारंटर सह बंधककर्ता "श्रीमती हीना चौधरी", पत्नी श्री दिनेश चौधरी, एवं "श्री दिनेश चौधरी", पुत्र स्वामीय श्री दलवीर सिंह, दोनों निवासी 1-2973, 7जी एक्सएन्यू, गौर सिटी-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009, साथ ही: प्लैट नं. 1735, टावर-1, साया जायम, गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201309, हमारे गौर सिटी शाखा के साथ, को उक्त सूचना में उल्लिखित राशि **रुपये 26,27,062/- (रुपये छब्बीस लाख सार्ताईस हजार बारह मात्र) तथा उस पर देय ब्याज की राशि के लिए इंडियन बैंक के प्रभार के अधीन रहेगा। "हम आपका ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13(६) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उन प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों पर आपके मोचन के अधिकारों से संबंधित हैं।" अचल संपत्ति का विवरण गौर सिटी सेंटरए में बनी दुकान नंबर एलजी-317 का पूर्ण हिस्सा जो लोअर ग्राउंड (बैसमेंट नं. 1) में स्थित था दुकान "गौर सिटी" टाउनशिप प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर सी-01ए/जीएच-01, सेक्टर-04, ग्रेटर नोएडा-201009 में है और इसका क्षेत्रफल 383.00 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- उत्तर-परिचम – दुकान नंबर एलजी-305, दक्षिण-पूर्व – दुकान नंबर एलजी-316 उत्तर-पूर्व – एट्री/रास्ता, दक्षिण-पश्चिम- दुकान नंबर एलजी –310 तारीख: 10.07.2026, ज़वाह: नोएडा अधिकृत अधिकारी (इंडियन बैंक)	

पंजाब नैशनल बैंक Exclusively Rural Banking	pnb punjab national bank Exclusively Rural Banking
एसेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा, गुरुग्राम, प्लॉट नं. 5, ईस्टीव्यूनगर एरिया, सेक्टर 32, गुरुग्राम –122001 मेल आईडी: –cs8230@pnb.bank.in	
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8(१)) जबकि अयोहस्ताक्षरी, पंजाब नेशनल बैंक, एसेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा, गुरुग्राम, प्लॉट नं. 5, ईस्टीव्यूनगर एरिया, सेक्टर 32, गुरुग्राम के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्मिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत तथा सुझा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 09.05.2013 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता/अव्याज/संविन/बंधककर्ता/गारंटर को (1) मैसर्स सनातन बंस मेवाल एजुकेशन सोसाइटी (अव्याज श्री शिव कुमार के माध्यम से) पता: – इंद्री मंडकोला रोड, वार्ड नं. 5, जखोपूर नगर, जिला गुजराथ –122103, अन्य पता: – 169 /6 कैथ्यावाड़ा सोहन (2) मैसर्स सनातन बंस मेवाल एजुकेशन सोसाइटी (अव्याज श्री सुनील कुमार के माध्यम से) पता: – इंद्री मंडकोला रोड, वार्ड नं. 5, जखोपूर सोहन, जिला गुजराथ – 122103, अन्य पता: – मकान नं. 28 ए. हाउ. सिंग बोर्ड कॉलोनी गूंड, मेवात (3) श्री शिव कुमार पुत्र श्री ब्रह्म सिंह, पता: – 169 /6 कैथ्यावाड़ा सो. हना (4) श्री सुनील कुमार पुत्र श्री प्रहृषि केश, पता: – मकान नं. 28 ए, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गूंड, मेवात (5) श्रीमती सुनीता मूनी पत्नी श्री जय कुमार, पता: – 169 /6 कैथ्यावाड़ा सोहन (6) श्री ब्रह्म सिंह पुत्र श्री नाथन सिंह, पता: – मकान नं. जीएफ275, वार्ड नं. 6, सोहना (7) श्री दीप बंद पुत्र श्री बाल किशन, पता: – गांव खेड़ी कला, फरीदाबाद (8) श्री योगेंद्र गज पुत्र श्री गुरु नारायण, पता: – मकान नं. 67, सेक्टर 10, फरीदाबाद को उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि रु.2,06,54,148 /- (रुपये दो करोड़ पचास लाख चौरासी हजार एक सौ अड़तालीस मात्र) दिनांक 30.04.2013 तक की राशि, उस पर आगे का ब्याज, खर्च एवं अन्य शुल्क आदि (वसूली की गई राशि को घटाकर) सहित पूर्ण भुगतान होने तक, उक्त अधिनियम की धारा 13(६) के अंतर्गत नोटिस जारी होनेव्याप्रा होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता/अव्याज/संविन/बंधककर्ता/गारंटर द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, एतद्वारा उधारकर्ता/बंधककर्ता एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 (उप-धारा 8) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुझा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, दिनांक ०९ अगस्त ३१ अगस्त, वर्ष 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता/अव्याज/संविन/बंधककर्ता/गारंटर तथा आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और उक्त संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी लेन-देन पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में दिनांक 30.04.2013 तक की राशि रु. 2,06,54,148 /- (रुपये दो करोड़ पचास लाख चौरासी हजार एक सौ अड़तालीस मात्र) तथा उस पर आगे का ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्क आदि, पूर्ण भुगतान तक की वसूली को घटाकर, के मार के अधीन होगा। अचल संपत्ति का विवरण: – (ए) खेवट नंबर – 220, खलीनी 237, रेवेन नंबर – 51, किल्ला नंबर – 2 (7-4) में स्थित भूमि पर निर्मित स्कूल एवं कॉलेज भवन, जिसमें 8/9वां हिस्सा अर्थात 6 कनाल 8 मरला तथा खेवट नंबर 303, खलीनी नंबर 330, रेवेट – 51, किल्ला नंबर – 9 (6-0), उपहार विलेख संख्या 247 दिनांक 25.06.2008 के माध्यम से, ग्राम – रावली, फिरोजपुर ज़िरका, मेवात, गूंड में स्थित, जिसका माप 14 कनाल 8 मरला है, मैसर्स सनातन बंस मेवाल एजुकेशन सोसाइटी, सोहना के नाम पर है। और (बी) खेवट नंबर – 220, खलीनी नंबर 237, रेवेट नंबर 51, किल्ला नंबर 2 (7-4) वाली भूमि, जिसमें 1/9वां हिस्सा, जिसका माप 16 मरला है, विक्रय विलेख संख्या 1120 दिनांक 13.02.2009 के माध्यम से, ग्राम रावली, फिरोजपुर ज़िरका, मेवात, गूंड में स्थित, मैसर्स सनातन बंस मेवाल एजुकेशन सोसाइटी, सोहना के नाम पर है। कुल भूमि क्षेत्रफल (9+बी) – 15 कनाल 4 मरला या 1.9 एकड़ या 9196 वर्ग गज। तारीख: 09.07.2026, स्थान: गुरुक्षेत्र अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक	

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम Union Bank of India A Government of India undertaking	शाखा - खुर्जा, जिला बुलंदशहर शाखा: खुर्जा, मुसिफ कोर्ट के सामने, पुरानी तहसील रोड, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203131
कब्जा सूचना [नियम - ४(1)] (अचल संपत्ति के लिए)	
जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्मिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, शाखा के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना संदर्भ: Sarfaesi/385506650000044 दिनांक24.04.2026 को जारी कर (ऋणधारको) 1.श्री कोमल सिंह,पुत्र श्याम पाल सिंह, पता: प्लॉट नं. के-36 क कालिंदी कुंज, जी.टी. रोड, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, पिन - 203131 और (गारंटर) श्रीमती पूजा, पत्नी कोमल सिंह, पता: प्लॉट नंबर के-36 क कालिंदी कुंज, जी.टी. रोड, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, पिन - 203131 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि रु. 26,30,179.67 (रुपये छब्बीस लाख तीस हजार एक सौ उनासी और सरसठ पैसे मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर ब्याज वापस लौटने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको/गारंटर को सूचित किया जाता है की आज 10 जुलाई, 2026 को अयोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमवाली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक/ भौतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय रु. 26,30,179.67 (रुपये छब्बीस लाख तीस हजार एक सौ उनासी और सरसठ पैसे मात्र) और28.04.2026 से देय ब्याज के लिए यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।	
अचल संपत्ति का विवरण:	
प्लॉट नं. के-36 क , जिसका क्षेत्रफल 45.00 वर्ग मी. है, जो कालिंदी कुंज, जी.टी. रोड, खुर्जा, जिला बुलंदशहर में स्थित है, का ईप्लान। बिक्री विलेख के अनुसार प्लॉट की चौड़ाई इस प्रकार हैं: पूर्व: 9.00 मीटर चौड़ा रोड, पश्चिम: प्लॉट 37ई,उत्तर: प्लॉट 36एच, दक्षिण: प्लॉट 36जे दिनांक: 10-07-2026 स्थान: खुर्जा	अधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम Union Bank of India A Government of India undertaking	शाखा का पता :- शास्त्री नगर शाखा, होंडा शोरूम के सामने, तेज गढ़ी चौपाल के पास, मेरठ
अनुसूची 6 [नियम - ४ (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)	
जबकि, अयोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, शास्त्री नगर शाखा के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना संदर्भ संख्या : यस एंटरप्राइजेज लिमिटेड 28.04.2026 जारी की थी, जिसमें शास्त्री नगर शाखा के खाताधारक ऋणधारको / गारंटर्स / बंधककर्ताओं (नाम) मैसर्स यस एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर तमन्ना बेगम पुत्री अब्दुल ख़्बार् (ऋणधारक / प्रोपराइटर) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से ६० दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 46,51,025.21 (रुपये छियालीस लाख इक्कावन हजार पच्चीस और इक्कीस पैसे मात्र), अनुबंधात्मक दर पर ब्याज तथा अन्य शुल्क का प्रतिभुगतान करने के लिए कहा गया था। चूंकि ऋणधारक / गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः ऋणधारक / गारंटर तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 जुलाई 2026 को यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक / गारंटर तथा आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन रु. 46,51,025.21 (रुपये छियालीस लाख इक्कावन हजार पच्चीस और इक्कीस पैसे मात्र) के एक राशि तथा राशि पर 16.04.2026 से देय ब्याज तथा अन्य शुल्कों हेतु यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रभारधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।	
अचल संपत्ति का विवरण :-	
प्लॉट नं. 126 और 127 पर स्थित आवासीय मकान, नगर निगम संख्या 418, हुमायूं नगर, ग्राम बुढेरा जाहिदपुर, मेरठ, जिसकी मालकिन तमन्ना बेगम हैं, विक्रय विलेख संख्या 835 तिथि 19-01-2024 के अनुसार। सीईआरएसआई परिसंपत्ति आईबी-200106100647 यहां नीचे वर्णित चल संपत्ति का दृष्टिबंधक :- सिलाई मशीन – 20 नग, शेड लॉक मशीन – 3 नग, आउटर मशीन – 3 नग, अन्य मशीन – 2 नग, मशीन स्टैंड – 1 नग सीईआरएसआई परिसंपत्ति आईबी-200090033418 तिथि : 10-07-2026 स्थान : मेरठ	प्राधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम Union Bank of India A Government of India undertaking	आजदपुर शाखा ए-8, पचवटी, आजदपुर, दिल्ली-110033 ईमेल: ubin0535818@unionbankofindia.bank.in
संदर्भ: OR/35810/NPA/2026-2027	धारा 13(2) के तहत ड्राफ्ट मांग सूचना दिनांक: 10.07.2026 स्थान: दिल्ली

सेवा में: श्री राजेंद्र कुमार सोनी,पुत्र अमर प्रकाश मकान नं. 38 थ्री, पुलिस कॉलोनी, मॉडल टाउन-2, डॉ. मुखर्जी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110009 महोदय/महोदया, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(३) के साथ पठित धारा 1३(2) के तहत सूचना आप, संवोधित सं. 1ंे हमारी आजदपुर शाखा से निम्नलिखित ऋण सुधारों प्राप्त की थीं और आप वाक्यें/कितल/व्याज का भुगतान करने या खातों को संतेशजनक ढंग से संचालित करने में विफल रहे हैं। इसलिए, आप की मान्यता और विवेकर्णों लेखा मानदंडों के संबंध में आव्तीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके खातों को 12/06/2026 से गैर-निपटित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 30/06/2026 तक आपके खातों नं रु 5,95,873
